दिनांक 21.11.2017 को कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित किसान क्रेडिट कार्ड/कृषि ऋण की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति : पंजी में संधारित।
2. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक 30.09.17 तक नया किसानक्रेडिट कार्ड की उपलब्धि मात्र 16.58% है। बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति संयोजक, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, पटना को निदेश दिया गया कि जिलों के लीड बैंक अधिकारी से सम्पर्क कर उसकी समीक्षा प्रत्येक दो सप्ताह पर किया जाय ताकि इसमें प्रगति आ सके।

   (कार्रवाई – एस०एल०बी०सी०, पटना)
3. किसानों द्वारा KCC हेतु दिये गये आवेदन पर बैंक द्वारा ससमय निर्णय नहीं लिया जाता है एवं अंत में कुछ कागजात के अभाव में किसान का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है, इसलिये यह जरूरी है कि किसान को यह जानकारी हो कि KCC आवेदन के साथ कौन–कौन कागजात संलग्न करना है, इसके लिए प्रचार प्रसार हेतु एक विज्ञापन देना आवश्यक है। संयोजक, एस०एल०बी०सी० के कृषि की उप समिति यह उपलब्ध करायेंगे कि KCC आवेदन हेतु किन–किन कागजात की आवश्यकता है।

   (कार्रवाई – एस०एल०बी०सी०, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना)
4. कृषि ऋण पर 1% ब्याज अनुदान के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया कि किसानों को यह जानकारी हो कि किन स्थिति में उन्हें 1% ब्याज अनुदान प्राप्त होगा, इसका प्रचार–प्रसार सभी जिलों के बैंकों द्वारा होना चाहिए।

   (कार्रवाई – एस०एल०बी०सी०, पटना)
5. कृषि ऋण पर 1% ब्याज अनुदान वर्ष 2017–18 हेतु MOU पर नबार्ड द्वारा शीघ्र हस्ताक्षर हो ताकि योजना की स्वीकृति हो सके एवं इसका लाभ किसानों को प्राप्त हो।

   (कार्रवाई – नबार्ड, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना)
6. बैठक में निर्णय लिया गया कि इसकी अगली समीक्षा हेतु दिनांक 13.12.2017 को बैठक आयोजित की जायगी।

सधन्यवाद बैठक समाप्त किया गया।

27/11

कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 7084 दिनांक : 28-11-17

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना /सहायक महाप्रबंधक, बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, संयोजक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्रामीण व्यवसायी ईकाई –1, स्थानीय प्रधान कार्यालय, पांचवा तल्ला, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, नवार्ड, मौर्यालोक कम्पलेक्स ब्लॉक बी, चौथी एवं पांचवी तल्ला, डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार, पटना।